राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] **बारहवीं विधान सभा के पांचवे सत्र का छठा दिवस** **[संख्या : 6**

बुधवार

8 मार्च, 2006

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई

वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री को जन्म दिन की बधाई

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। इससे पहले कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बजट भाषण के लिए पुकारूं, मैं उनको सदन के तमाम सदस्यों की और से जन्म दिन की बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूं और सभी माननीय सदस्यगण से यह भी उम्मीद करती हूं कि वे उन्हें बीच में रोकें नहीं, टोकें नहीं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह उम्मीद करती हूं कि उनका बजट समाज के सभी वर्ग के लिए सुखद एहसास कराएगा ऐसा बजट यह पेश करेंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : केक काटा जाएगा इसके लिए भी आमंत्रित कर दें।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, अब मैंने नाम पुकार लिया है माननीय मुख्य मंत्री जी का।

आय-व्ययक संशोधित अनुमान वर्ष 2005-06 व आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का उपस्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

2. मानननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय बोलते हुए मैंने आपसी सहयोग के एक नये अध्याय जोड़ने की प्रार्थना इस सदन में की थी। ये प्रार्थना इस राज्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना से प्रेरित है। गरीबों के हृदय की वेदना को पूरी संवेदना के साथ समझना और जिस हद तक हो सके उसे कम करना ही हमारी पहली और आखिरी जिम्मेदारी है। हमें राजनीति को उस सोपान तक पहुंचाना है, जहां सत्ता और जनता के बीच सेतु बनने पर हम गर्व कर सकें। वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के सपनों को साकार करने का संकल्प दोहरा सकें।

अब प्रसिद्ध कवि दुष्यन्त कुमारजी की बातों को मैं यूं कहना चाहूंगी-

सिर्फ मतभेद रखना मेरा मकसद नहीं
मेरी कामना यह है कि यह सूरत बदली चाहिए
मेरे सीने में ही नहीं आपके सीने में भी
दोनों में ही
लेकिन आग जलनी चाहिए

माननीय अध्यक्ष महोदया,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं।

2. गत वर्ष देश के दक्षिणी और पूर्वी भाग ने सुनामी की त्रासदी झेली थी। इस वर्ष देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों ने प्राकृतिक आपदाओं की विनाश लीला देखी। मैं कश्मीर में भूकम्प से हताहत व महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के प्रति सदन एवं अपनी ओर से सहानुभूति प्रकट करना चाहती हूं।

3. अतीत को पीछे छोड़ते हुए, वर्षों से बंद मुनाबाव-खोखरापार मार्ग को पुन: शुरू करने के साथ, भविष्य के नये द्वार खुले हैं। इससे पड़ोसी देश से भाईचारे व मित्रता के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं यदि हमें प्रगति करनी है, और समृद्धि की ओर बढ़ना है तो हमें Outward looking होना पड़ेगा। हमें न केवल विश्व भर के पर्यटकों, बल्कि देश-विदेश के निवेशकों को भी आकर्षित करना होगा। अगर राज्य की

सरहदें बड़ी हैं, तो नि:संदेह उसका हृदय उससे भी विशाल है। मेरी कामना है कि हम अपने राज्य की पारम्परिक उदारता और सांस्कृतिक विविधता के साथ संसार का स्वागत करें, पर साथ ही अपनी गरिमापूर्ण विरासत की रक्षा करने में भी तत्पर रहें।

4. पूर्व से चल रही अनेक योजनाओं के अलावा, विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए, गत दो वर्षो में हमारी सरकार ने अनेक अभिनव योजनाएं प्रारम्भ कीं। Gaps को भरने हेतु नई योजनाएं आवश्यक हो सकती हैं, पर उतना ही महत्वपूर्ण है इनका, और पूर्व से चल रही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। तभी schemes पर किये जा रहे व्यय का लाभ गरीबों और वंचित वर्गों को मिल सकेगा। अत: मैं चाहूंगी कि आगामी वर्ष 'समेकन वर्ष' (Year of Consolidation) हो। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आवाहन करती हूं कि इन सभी योजनाओं की वास्तविक तथा समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के प्रति, हम सब आने वाले समय में सतर्क और समर्पित रहें।

5. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें इस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही हैं। इन सिफारिशों के अन्तर्गत हमारा केन्द्रीय करों में हिस्सा मामूली वृद्धि के साथ 5.473 प्रतिशत के स्थान पर 5.609 प्रतिशत हो गया है। सड़क व भवन मरम्मत, विरासत संरक्षण, नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु हम सहायता प्राप्त करने में सफल हुए हैं। साथ ही इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं मरु-प्रधान व सीमांत जिलों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए विशेष सहायता हेतु सहमति हुई है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में 20 करोड़ रुपये एवं वनों के संरक्षण हेतु 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की सांकेतिक सहायता देने की सिफारिश भी वित्त आयोग ने की है।

6. केन्द्र सरकार द्वारा तीन प्रकरणों में ग्यारहवें एवं बारहवें वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार निर्णय नहीं लेने से, हमारे संसाधनों में कमी आई है।

7. सबसे पहले, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम करने एवं FRBM Act लागू करने पर ऋण राहत (debt waiver) तथा ऋण समेकन (debt consolidation) की व्यवस्था हैं। मैं गर्व के साथ

सूचित करना चाहती हूं कि हम ऋण समेकन तथा ऋण राहत दोनों सुविधाओं के पात्र हो गये हैं। इस कारण हमारा बकाया केन्द्रीय ऋण समेकित कर दिया गया है। किन्तु केन्द्र सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे चालू वर्ष में debt write-off स्वीकृत करेंगे या नहीं। इस कारण से, संशोधित अनुमानों में, मैंने इस लगभग 332 करोड़ रुपयों की प्राप्ति को शामिल नहीं किया है।

8. दूसरा, ग्यारहवें वित्त आयोग की ऋण राहत योजना के अन्तर्गत राज्य द्वारा आवश्यक शर्तें पूरी कर लिये जाने के आधार पर, हमें वर्ष 2005-06 में 307 करोड़ रुपये की ऋण राहत अपेक्षित थी, परन्तु हमें केवल 29 करोड़ 80 लाख रुपये ही स्वीकृत किये गये हैं। यद्यपि हमने केन्द्र सरकार से इस ऋण राहत की स्वीकृति को संशोधित करने हेतु अनुरोध किया है, किन्तु संशोधित अनुमानों में केवल 29 करोड़ 80 लाख रुपये का ही प्रभाव डाला गया है।

9. तीसरा, केन्द्र सरकार ने उन्नयन अनुदान व विशेष समस्या अनुदान के अन्तर्गत 21 मार्च 2005 के पश्चात प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को भी स्वीकार करने से मना कर दिया। जब कि ग्यारहवें वित्त आयोग की Award अवधि 31 मार्च, 2005 तक की थी। मेरी दृष्टि में Award अवधि के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने से इंकार करना, वस्तुत: Award अवधि को कम करने के समान है। केन्द्र सरकार के इस कदम से 26 करोड़ रुपये की राशि हमें कम प्राप्त हुई।

10. उपरोक्त कारणों से हमारे योजनागत संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी के साथ दो बार, और प्रधानमंत्रीजी के साथ एक बार, मैं व्यक्तिगत भेंट कर चुकी हूं। मैं आशा करती हूं कि चूंकि यह मामला राजस्थान के विकास से सम्बन्धित है, अत: विपक्ष भी, राजस्थान की जनता को केन्द्र सरकार से उसका वाजिब हक दिलवाने में हमारा साथ देगा।

11. लेकिन, इन कमियों, और राजकोषीय घाटे को सीमित रखने की अनिवार्यता के बावजूद हमने योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना के पोषण में कमी नहीं आने दी। यह निश्चय ही हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है। योजना का संशोधित आकार 8 हजार 155 करोड़ 23 लाख रुपये है। हमें विश्वास है कि हम योजना के संशोधित लक्ष्य का 95 प्रतिशत से अधिक अर्जन करेंगे।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

योजना विनियोजन :

13. आगामी वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना का आकार योजना आयोग ने 8 हजार 501 करोड़ 41 लाख रुपये निर्धारित किया है। बजटीय प्रावधान इससे कुछ अधिक 8 हजार 562 करोड़ 54 लाख रुपये है, जो कि वर्ष 2005-06 के संशोधित आकार से 407 करोड़ 31 लाख रुपये अधिक है। निश्चय ही सदन के माननीय सदस्य हमारी इस उपलब्धि को महत्व देंगे कि, बारहवें वित्त आयोग के प्रावधानों में राजकोषीय घाटे को सीमित रखने की चुनौती के बावजूद हम योजना के बढ़े हुए आकार को और बढ़ाने में सक्षम रहे हैं।

14. माननीय सदस्यों को विदित होगा कि, मैंने पिछले बजट में Gender Auditing की शुरूआत करने की घोषणा की थी। इस वर्ष प्रमुख चिन्हित विभागों-शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा कृषि विभाग में यह कार्य हाथ में लिया गया। इन विभागों का अध्ययन करने से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं, जिन्हें मैं सदन के सामने विचार हेतु रखना चाहूंगी।

15. राज्य में महिलाओं द्वारा कृषि भूमि क्रय करने पर मुद्रांक शुल्क दर 11 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, जनवरी 2004 की पहली तिमाही में जहां महिलाओं के नाम पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों की संख्या 8 हजार थी, वह अगली ही तिमाही में बढ़कर 34 हजार पहुंच गई। अगले 9 महीने, अर्थात् जुलाई 2004 से मार्च 2005, तक यह बढ़कर 67 हजार हो गई। इसके अगले 9 महीनों, अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2005, में यह संख्या एक लाख पहुंच गई। इस अनूठी पहल से दो वर्षों से भी कम अवधि में 2 लाख से अधिक महिलाओं को भूमि का मालिकाना हक मिला। यह उनके सशक्तीकरण की दिशा में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है।

16. Draft Report के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक स्तर पर, छात्राओं के enrolment एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव की दर, दोनों ही बढ़ी हैं। वर्ष 2000-2001 में enrolment में जहां छात्राओं का प्रतिशत 32.60 था, वह

बढ़कर वर्ष 2004-05 में 38.96 प्रतिशत पहुंच गया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव दर 80.73 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2003-04 में बढ़कर यह 87.85 प्रतिशत हो गई। परिणाम बताते हैं कि अगर छात्राएं प्राथमिक स्तर पार कर लेती हैं, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आसानी से drop-out नहीं होतीं। अत: हमें प्राथमिक स्तर पर enrolment बढ़ाने व drop-out घटाने के लिए विशेष नीतिगत हस्तक्षेप करने की आवश्कयता है।

17. महिला शिक्षकों की संख्या वर्ष 2003-04 तक 25 प्रतिशत के आस-पास रही, जो संतोषजनक नहीं है। परन्तु हाल ही में हमारे द्वारा की गई नियुक्तियों में 30 प्रतिशत आरक्षण करने, एवं 2 हजार 371 विधवाओं एवं 563 परित्यक्ताओं को नियुक्ति दिये जाने से इस स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है।

18. रिपोर्ट के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर छात्राओं का enrolment अभी भी अपेक्षानुरूप नहीं है। वर्ष 2000-2001 से 2004-2005 तक enrolment में 1.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। विशेषत: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं का enrolment बहुत कम है। स्पष्ट है कि हमें इन वर्गों की छात्राओं की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने की विशेष आवश्यकता है।

19. उल्लेखनीय है कि राज्य में महिलाओं की संख्या लगभग 48 प्रतिशत है। हमारी सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन लिंगानुपात के आधार पर तो नहीं किया जाता, फिर भी महिला आधारित कार्यक्रमों के व्यय में समय के साथ वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि महिला जनसंख्या की दृष्टि से 6 समकक्ष राज्यों में, बजटीय व्यय के आधार पर, हमारा प्रदेश महिला स्वास्थ्य में प्रथम, महिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण में द्वितीय और जरूरतमंद महिलाओं की सहायता कार्यक्रमों में तृतीय स्थान पर रहा है। फिर भी, मैं मानती हूं कि और सुधार की आवश्यकता है।

20. आने वाले वर्षों में, योजना बनाते समय, उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखा जायेगा। आगामी वर्ष में Gender Budgeting and Auditing प्रक्रिया का और विस्तार किया जाना भी प्रस्तावित है।

21. बजट प्रक्रिया में समय के साथ परिवर्तन लाते हुए हमने Outcome Budgeting प्रारम्भ करने का भी निर्णय लिया है, ताकि हम केवल वित्तीय प्रावधानों का ही नहीं, बल्कि योजनाओं के वास्तविक परिणामों का भी मूल्यांकन कर सकें। Outcome Budgeting के परिणाम प्राप्त होने पर मैं उनसे सदन को अवगत कराऊंगी।

आपदा प्रबंधन :

22. नोबल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अकाल के बारे में कहा है कि ‘‘यह मान लिया जाता है कि इन आपदाओं से राहत पाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ... पर इस निराशावाद का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। उपयुक्त नीतियों एवं उनके क्रियान्वयन से निश्चित रूप से आज भूख की समस्या का समाधान हो सकता है ... (और) अकालों की समाप्ति सम्भव है।’’

23. यह कथन इसलिये प्रासंगिक हो जाता है कि राजस्थान सुदीर्घ काल से, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, अकाल की विभीषिका का सामना करता रहा है। अकाल राहत से आगे बढ़कर, अब हमें अकाल समाप्ति की ओर अग्रसर होना है।

24. सम्वत् 2061 में राज्य अभावग्रस्त क्षेत्रों में न केवल संतोषजनक राहत प्रदान की गई, बल्कि स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन भी किया गया। Material Component में पहली बार 50 करोड़ रुपये का विशेष बजट प्रावधान योजना मद में किया गया। सम्वत् 2062 में भी राज्य के 22 जिलों के 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर, जनवरी की प्रथम तिथि से राहत कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

25. वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए C.R.F. मद के अन्तर्गत वित्त आयोग द्वारा राज्य के लिए 415 करोड़ 64 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 311 करोड़ 73 लाख रुपये केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त किये जाने हैं। इस वर्ष इसमें से 155 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हुई। द्वितीय किश्त की राशि, 155 करोड़ 86 लाख रुपये जो दिसम्बर 2005 में ही प्राप्त हो जानी चाहिये थी, अभी तक प्राप्त होनी शेष है। जब कि अकाल राहत पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

26. नि:शक्त, निर्बल व निर्धन वर्गों को संबल देना प्रथम बजट से ही मेरी प्राथमिकता रही है। आज अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस है और इस बजट को मैं स्त्रीशक्ति के नाम समर्पित (dedicate) करना चाहूंगी। परम्परागत रूप से यह माना जाता रहा है कि महिलाओं का विकास आधारभूत आवश्यकता है, किन्तु मेरे विचार से हमारे आधारभूत विकास के लिए महिला शक्ति की आवश्यकता अधिक है। (if women need development, then development also needs women)।

27. अब तक संगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनेक योजनायें क्रियान्वित की गई हैं, किन्तु निर्धनतम वर्ग इनसे वंचित रहा है, हालांकि सामाजिक सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं को है। इतनी गरीबी, ऊपर से कमाई के एक मात्र स्रोत की मृत्यु अथवा उसकी शारीरिक क्षति ! ऐसी बेचारी अबला और उसके छोटे-छोटे बच्चों पर क्या गुजरती होगी यह सोचकर ही आंखों में आंसू नहीं ठहरते, ऐसे परिवारों की ओर हमें मदद का हाथ बढ़ाना ही होगा।

28. इसलिए आगामी वर्ष में प्रत्येक B.P.L. परिवार को बीमा का लाभ देने के लिए पन्नाधाय जीवन-अमृत योजना की घोषणा करती हूं। इसके अन्तर्गत बीमा हेतु प्रीमियम राशि में उसका अंश राज्य सरकार वहन करेगी। दुर्घटना में दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर बीमित परिवार को 50 हजार रुपये और प्राकृतिक मृत्यु की अवस्था में 20 हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी। गम्भीर शारीरिक क्षति होने पर 50 हजार रुपये, और सामान्य शारीरिक क्षति में 25 हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक B.P.L. परिवार

के ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को बीमा कम्पनी द्वारा 100 रुपये प्रतिमाह, या 1200 रुपये प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 22 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। निश्चय ही यह कार्यक्रम हमारी सरकार द्वारा समाज की निर्धनतम महिला और राज्य की अन्तिम नागरिक तक पहुंचने की प्रतिबद्धता की दिशा में एक और कदम होगा।

29. महिला विकास कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए सभी महिला विकास अभिकरणों में जिला स्तरीय अधिकारी होने आवश्यक हैं। अतः मैं पूर्व सरकार द्वारा Abeyance में किये गये उक्त सभी पदों को पुनर्जीवित कर भरने की घोषणा करती हूं।

30. प्रसन्नता का विषय है कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम एक आन्दोलन का रूप लेता जा रहा है। अब तक 1 लाख 4 हजार स्वयं सहायता समूहों में 11 लाख से भी अधिक महिलायें संगठित हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से 55 हजार समूहों को 100 करोड़ रुपयों से अधिक के बैंक ऋण प्रदान किये जा चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इस आन्दोलन को आगे बढ़ाते हुए 20 हजार नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाकर लगभग 2 लाख और महिलाओं को इस अनुष्ठान में शामिल किया जायेगा।

31. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्व में कार्यरत 35 हजार सहयोनियों की उपयोगिता को देखते हुए, आगामी वर्ष में, नये आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु 11 हजार नई सहयोनियों का चयन किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वित्तीय वर्ष में 44 लाख 62 हजार बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, धात्री माताओं तथा किशोरियों को पूरक पोषाहार वितरित किया जायेगा। इसके लिए चालू वर्ष की तुलना में लगभग 25 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष में 179 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

32. वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है। हम स्वयं के स्तर पर ही इस अभाव को पूरा करना चाहते हैं। किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में

से 3 हजार केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य आगामी वर्षों में सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए राज्य सरकार आवश्यक वित्त पोषण करेगी।

33. वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन 200 रुपये मासिक है जिसमें 75 रुपये भारत सरकार का योगदान रहता है। भारत सरकार ने अपने इस योगदान को 125 रुपये बढ़ाते हुए, राज्य सरकार से भी 200 रुपये जोड़कर, इस मासिक पेंशन को 400 रुपये करने की अपेक्षा की है। हमें इस अपेक्षा के अनुरूप बराबर भागीदारी मंजूर है। अत: ऐसे वृद्धावस्था पेंशनर्स, जो कि केन्द्र सरकार के norms के अनुसार पात्र हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2006 से 400 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी।

34. जनजातीय विकास के प्रति भी मैं सदैव से चिंतित रही हूं। इस हेतु पूर्व सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में योजनामद में 262 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था, जब कि हमने तीन वर्षों में ही 364 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।

35. आगामी वर्ष में उदयपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति के 500 विद्यार्थियों हेतु 4 बालक तथा 6 बालिका कुल 10 नवीन आश्रम छात्रावासों का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 9 आवासीय विद्यालयों में भी कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करना प्रस्तावित हैं। नजजातीय क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन सुविधा का विस्तार करते हुए नये विषय एवं संकाय प्रारम्भ किये जायेंगे। छात्राओं की अभिरुचि को देखते हुए गृह विज्ञान को प्राथमिकता दी जायेगी।

36. समाज कल्याण हेतु पूर्व सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में येाजनामद में किये गये कुल प्रावधान की तुलना में हमने तीन वर्षों में ही 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करते हुए 262 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।

37. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 697 छात्रावासों में निवास कर रहे विद्यार्थियों के लिए भोजन, वस्त्र व अन्य सुविधाओं के लिए वर्तमान में प्रति विद्यार्थी 675 रुपये प्रतिमाह व्यय किये जा रहे हैं, इसे आगामी शिक्षण सत्र से 50 रुपये बढ़ाकर 725 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।

इससे 28 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

38. किराये के भवनों में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 95 छात्रावासों के लिए राजकीय भवनों का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा। इस निर्माण कार्य पर प्रति छात्रावास 35 लाख रुपये की दर से अगले दो वर्षों में कुल 33 करोड़ 25 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। इस हेतु राज्य सरकार आगामी वर्ष 8 करोड़ 32 लाख रुपये उपलब्ध कराएगी।

39. नवगठित सम्भाग भरतपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु आगामी वर्ष में जन-सहभागिता के आधार पर छात्रावास प्रारम्भ किया जायेगा।

40. विकलांग व्यक्तियों के लिए प्राय: रोजगार की समस्या रहती है। दोनों हाथों या दोनों पैरों अथवा दोनों आंखों से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आगामी दो वर्षों में एक हजार Kiosk, अथवा Mobile Kiosk तैयार करवाकर आवंटित किये जायेंगे।

41. नशे की दुष्प्रवृति से विशेष प्रभावित जिलों में भूतपूर्व सैनिकों के स्वैच्छिक सहयोग से निजी-सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर नये नशा मुक्ति केन्द्र खोले जायेंगे।

42. राज्य के सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर आगामी वर्ष में स्वयं-सिद्धा योजना प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, जिनमें विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।

43. Mid-day Meal योजना में राज्य सरकार द्वारा अपनी तरफ से विशेष पहल करते हुए प्राथमिक कक्षा के बच्चों को सभी स्कूल दिवसों में गरम पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई, ताकि बच्चे केवल उबले गेहूं की घूघरी खाने को विवश न हों। इस हेतु न केवल राज्य द्वारा अंशदान बढ़ाया गया है, बल्कि इसके समुचित प्रबंधन हेतु अनेक निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इससे जोड़ा गया है। सहकारिता विभाग द्वारा महिला समितियों को इस योजना से

जोड़ते हुए कुल 467 अन्नपूर्णा सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भोजन पकाने के लिए बर्तनों की व्यवस्था की जा रही है व शिक्षा विभाग द्वारा भी ऐसे विद्यालयों में रसोई घर बनाने की योजना चल रही है। मदरसा बोर्ड के माध्यम से मदरसों में भी इस हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा रहा है। इस व्यवस्था के समुचित प्रशासनिक प्रबंधन हेतु राज्य स्तर से लेकर पंचायत समिति स्तर तक विशेष Monitoring Unit गठित की जा रही है व इस हेतु अलग से निदेशालय बनाया जा रहा है। इसी क्षेत्र में पहल करते हुए गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए भी शहरी क्षेत्र में न्यूनतम मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में नगर सुधार न्यासों को सम्मिलित किया जायेगा।

44. गरीब परिवार के बच्चों को हम शिक्षा के साथ कम से कम एक वक्त पौष्टिक भोजन सुलभ करा सकें, तो मैं समझती हूं, इससे बड़ा धर्म का कार्य कोई नहीं होगा। इस महायज्ञ में बंगलोर तथा हैदराबाद जैसे दूरस्थ स्थानों की अक्षय पात्र तथा नान्दी फाउंडेशन जैसी संस्थायें भी यहां आकर महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस तरह की स्वैच्छिक सहायता को व्यवस्थित करने हेतु मैं Mid-day Meal Trust बनाने की घोषणा करती हूं। इसमें दिया गया योगदान आयकर अधिनियम के तहत आयकर से मुक्त करवाया जायेगा। सभी जिलों में इस ट्रस्ट की शाखाएं खोली जायेंगी, जो जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेंगी। और इनमें जिले के गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारी शामिल होंगे।

45. इस हेतु मैं राज्य के सभी सम्पन्न वर्गों-उद्यमियों, व्यवसायियों, जन-प्रतिनिधियों, राज्य कर्मचारियों व नागरिक बंधुओं का आवाहन करती हूँ कि इस पुनीत कार्य हेतु अपनी आय का कम से कम एक प्रतिशत भाग इस ट्रस्ट को दान दें। मैं स्वयं अपना वेतन, जो मैं मुख्यमंत्री होने के नाते प्राप्त करती हूँ, का दस प्रतिशत इस ट्रस्ट को दूंगी। मैं समझती हूं कि सदन में मेरे साथी इस अनुष्ठान में मुझसे आगे ही रहेंगे मुझसे पीछे नहीं।

स्वास्थ्य :

46. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान विभिन्न सूचकांकों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे है। ''कृण्वंतो: विश्वमारोग्यम्'' (अर्थात् हम समस्त

विश्व को नीरोग करें) के उदघोष के साथ प्रदेश को हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने हेतु प्रयासरत हैं। समाज में मातृत्व असुरक्षित न रहे और बचपन असंरक्षित न रहे, इस हेतु इस वर्ष मुख्यमंत्री 'पंचामृत' अभियान शुरू किया गया है। इसके माध्यम से दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य एवं पोषण की पांच प्रमुख सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी, व वंचित तबकों को स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

47. चिकित्सकों एवं अन्य Paramedical Staff की कमी राज्य में लम्बे समय से चली आ रही समस्या थी। किन्तु पूर्व सरकार द्वारा पूरे पांच वर्षों में वस्तुत: कोई भी नियुक्ति नहीं की गई। हमने इस समस्या को गम्भीरता से लेते हुए गत वर्ष 558 चिकित्सकों, 372 नर्सों तथा 54 Nursing Tutors की नियुक्ति की सहमति दी। आगामी वर्ष में 100 चिकित्सकों, 200 ANM तथा 700 नर्सों की नियुक्ति चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु प्रस्तावित की जाती हैं।

48. चिकित्सा क्षेत्र में सामान्य आधारभूत संरचना का अभाव भी दूसरी बड़ी समस्या रहा है, जिसे हम चरणबद्ध ढंग से दूर करना चाहते हैं। आगामी वर्ष में निजी सहभागिता से 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 100 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही चालू वर्ष की भांति आगामी वर्ष में भी 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व 227 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

49. माननीय सदस्यों से विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध शय्याओं की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2006-07 में 14 विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की शय्या क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

50. कोटा मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय में भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

51. राजस्थान में अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष Operation Zero Cataract प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम प्रारम्भ करते समय राज्य में लगभग 5 लाख व्यक्ति इस कारण अंधताग्रस्त थे। प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख 20 हजार

व्यक्ति मोतियाबिंद के कारण इस संख्या में जुड़ जाते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2008 तक मोतियाबिंद के 9 लाख Operation कर, राज्य की अंधता प्रसार दर 0.34 प्रतिशत के स्तर तक कम कर, राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

52. Cancer, Thalassemia तथा गुर्दा आदि रोग के रोगियों को Chemotherapy, Blood Transfusion तथा Dialysis आदि प्रक्रियाओं की बार-बार आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मरीजों की सुविधा हेतु राज्य के 6 मेडिकल कालेज स्तर के अस्पतालों में Medicare Relief Society द्वारा Day Care Center खोले जाने प्रस्तावित हैं।

53. राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु एक नई निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2006-07 में लागू की जायेगी, जिससे निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। इस नीति में जनजातीय व दूरवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता से लिया जायेगा।

54. प्रदेश के 7 पर्यटन स्थलों पर देशी-विदेशी पर्यटकों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की पंचकर्म चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र की भागीदारी में पंचकर्म केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु आधारभूत सूविधायें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केन्द्र का संचालन निजी क्षेत्र के सहयोग से किया जायेगा। इसके लिए 1 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक नीति तैयार की जायेगी।

55. पंचगव्य की औषधीय महत्ता सिद्ध हो चुकी है। इसके औषधीय विकास, निर्माण एवं वितरण हेतु सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर आधुनिक पंचगव्य रसायनशाला की स्थापना की जायेगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष में 25 लाख रुपये की राशि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही गो-धन के विकास हेतु पंचगव्य से बने पदार्थों के उत्पादन को लघु उद्योग का दर्जा प्रदान किया जायेगा। गो-सेवा आयोग के

लिए भी विभिन्न विकास कार्य हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, जो इस वर्ष में किये गये वास्तविक व्यय के अतिरिक्त होगा।

शिक्षा:

56. राजस्थान ने निरक्षरता का अभिशाप झेला है और उस अन्तर्व्यथा से उबरते हुए, उसने साक्षरता में प्रगति की देश-विदेश में नई छाप छोड़ी है। आज के जमाने में वस्तुत: ज्ञान ही शक्ति है। शिक्षा के उन्नयन, शिक्षण संस्थानों के क्रमोन्नयन व शिक्षकों की नियुक्ति के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाये हैं।

57. वर्ष 2005-06 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 1 हजार 905 वैकल्पिक पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करते हुए, 950 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये तथा 1 हजार 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। आगामी वर्ष में लगभग 16 हजार राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जायेगा। परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में इनमें से कोई भी राजीव गांधी पाठशाला प्राथमिक पाठशाला में क्रमोन्नत होने से शेष नहीं रहेगी। इसके साथ ही 5 हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। इससे मध्यम स्तर पर drop-out की समस्या कम होगी।

58. इस वर्ष प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत 37 हजार अध्यापकों को नियमित नियुक्ति प्रदान की गई तथा 7 हजार 200 अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। आगामी वर्ष में तृतीय श्रेणी के लगभग 26 हजार अध्यापकों, व द्वितीय श्रेणी के 5 हजार अध्यापकों, कुल लगभग 31 हजार अध्यापकों को नियुक्ति दी जायेगी।

यह हमारे हरेक बच्चे को शिक्षा का हक दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। सो इसलिए ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : पाणी सो ही पड़गो के थार पर ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : सेंटर के बजट में से ड़ेढ लाख लगाये जाएंगे, उसी में से गिना दो यहां पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो।

डा. सी. पी. जोशी : 75 प्रतिशत पैसा तो गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया का है, उसको तो धन्यवाद दे नहीं रहे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : चलो भाई, मन से ही सही।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यह हमारे हरेक बच्चे को शिक्षा का हक दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

हौसला अगर आसमानी है तो है

हमको कोई बदगुमानी है तो है,

हम लड़े इन्सान के हक में सदा

अब हमारी यह कहानी है तो है

(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कल जवाब मिलेगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : 59 ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नाबार्ड से ऋण प्राप्ति पर लगभग 27 करोड़ रुपये की राशि से 1,387 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय व पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। ...

59. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में नाबार्ड से ऋण प्राप्ति पर, लगभग 27 करोड़ रुपये की राशि से 1 हजार 387 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय व पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

60. पूर्व में चल रहे महिला शिक्षण विहारों की उपयोगिता को देखते हुए, चूरू जिले में भी सहभागिता से महिला शिक्षण विहार खोला जायेगा।

61. राज्य सरकार का यह मत है कि अध्ययन पूरा होने पर campus selection के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। स्नातक पाठ्यक्रम के साथ-साथ ऐसे Vocational Certificate Courses प्रारम्भ करने हेतु, जिनके लिए UGC द्वारा seed money दी जायेगी, राज्य सरकार भी एकमुश्त वित्तीय सहायता देगी। इस योजना हेतु आगामी वर्ष 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

62. विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों की छात्र संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु, एक स्थाई नीति बनाने की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य सरकार सभी stakeholders से बात कर उपयुक्त कदम उठायेगी। इसी प्रकार प्रदेश के महाविद्यालयों में निजी सहभागिता से 10 Knowledge Center स्थापित करने की योजना विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जायेगी।

63. आगामी वर्ष में आसींद एवं टोडाभीम में निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोलने हेतु भूमि एवं भवन निर्माण की 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूं। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे समस्त उपखण्ड, जहां राजकीय महाविद्यालय नहीं है, वहां निजी सहभागिता से महाविद्यालय संचालन हेतु राज्य सरकार नि:शुल्क भूमि, तथा भवन निर्माण का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करायेगी।

64. राजस्थान के पुरातत्व संरक्षण एवं पर्यटन विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है, किन्तु राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में Museology विषय में शिक्षा नहीं दी जाती है। इस आवश्यकता को देखते हुए, आगामी वर्ष से राजस्थान विश्वविद्यालय में इस विषय की शिक्षा प्रारम्भ की जायेगी।

65. रोजगार की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। राजस्थान में 12 जिलों में पोलिटेक्निक महाविद्यालय तथा 113 पंचायत समितियों में

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं। इन स्थानों पर निजी सहभागिता से तकनीकी संस्थान स्थापित करने हेतु नि:शुल्क राजकीय भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी। महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा भवन भी निर्मित कराकर उपलब्ध कराया जायेगा। आगामी वर्ष इस हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

खेल एवं युवा शक्ति :

66. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में राजस्थान की भागीदारी बढ़ाने, खिलाडियों को प्रोत्साहित करने तथा खेल सुविधायें विकसित करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। सरकार की योजना है कि राज्य का कोई भी जिला स्टेडियम से वंचित न रहे। इस क्रम में आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप में स्टेडियमों का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बीकानेर में Velo-drome का पुनरुद्धार किया जायेगा।

67. युवा आवासों के निर्माण के लिए प्रथम चरण में युवा गतिविधियों के विकास हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से 13 जिलों में युवा आवासों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी :

68. सूचना प्रौद्योगिकी हेतु गत सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में कुल 25 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था, जब कि हमारे शासनकाल में तीन वर्षों का प्रावधान ही 145 करोड़ रुपये है। हमने शासन और प्रशासन को सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त करने के लिए वृहद् प्रयास किये हैं, जिससे न केवल प्रशासनिक संरचना में गतिशीलता और पारदर्शिता आई है, बल्कि राज्य के मानव संसाधनों का भी विकास हुआ है।

69. प्राय: यह देखा गया है कि ग्रामीण व गैर-संस्थागत रूप से भी अनेक महत्वपूर्ण खोजें होती रहती हैं, और अनेक ऐसी उपयोगी तकनीकों का भी विकास हुआ है, जिन्हें समुचित पहचान नहीं मिल पाई है। राज्य सरकार द्वारा

अनवेषणों को प्रोत्साहित करने हेतु इनके पंजीयन, प्रयोग एवं प्रोत्साहन की एक विशेष श्यामा प्रसाद मुखर्जी विज्ञान दृष्टि योजना लागू की जायेगी। इसके अन्तर्गत चयनित अन्वेषकों को सम्मानित करने के लिए विशेष पुरस्कार भी प्रारम्भ किया जायेगा।

ग्रामीण विकास :

70. ग्रामीण विकास की 20 से भी अधिक योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक परिसंपत्ति निर्माण के कार्य किये जा रहे हैं। साथ ही इनके माध्यम से क्षेत्रीय विषमता को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। चालू वर्ष में जनवरी, 2006 तक इन योजनाओं पर 774 करोड़ 90 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। आगामी वर्ष में इन योजनाओं पर एक हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

71. हमारे गांव हमारी विरासत के वे हिस्से हैं, जो विपुल संभावनाएं संजोए हुए हैं। यूं तो गांवों तथा ग्रामीण जनता के विकास के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, परन्तु राज्य सरकार तमाम योजनाओं को समन्वित करने के साथ एक आधुनिक और आदर्श गांव का सपना साकार करना चाहती है। इस हेतु आगामी वर्ष से जन सहभागिता आधारित 'दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव योजना' प्रारम्भ की जाएगी। इसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी, साथ ही नशा, विवाद एवं अपराध मुक्त गांवों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना में चयनित गाँवों को तीन वर्ष के भीतर वृहद कार्ययोजना तैयार कर विकसित किया जायेगा। इस योजना के प्रथम चरण में 50 गांवों को लिया जाकर, सम्बन्धित विभागों के बजट का प्राथमिकता से इन गांवों को आवंटन किया जायेगा। इसकी वृहद योजना पंचायती राज विभाग शीघ्र जारी करेगा।

72. Bio-fuel हेतु रतनजोत का वाणिज्यिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास संघ के माध्यम से अनवरत व निश्चित दर पर बीज खरीद कराने बीज एवं तेल की बिक्री पर विभिन्न करों में छूट देने पर विचार किया जायेगा।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

73. इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में 33 हजार से अधिक नये आवास निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देते हुए कुल 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

74. मेवात क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बालिकाओं के लिए 10 आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये जायेंगे। इसमें निजी सहभागिता भी आमंत्रित की जायेगी।

कृषि :

75. भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने तथा उर्वरक के संतुलित प्रयोग को बढावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक मृदा परीक्षण (Soil Testing) प्रयोगशाला स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में सघन कृषि वाले जिलों में निजी सहभागिता से एक-एक अतिरिक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना प्रस्तावित है, जिसकी योजना कृषि विभाग शीघ्र जारी करेगा। साथ ही इस वर्ष वितरित 1 लाख 60 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) की संख्या को दुगुने से भी अधिक करते हुए, आगामी वर्ष में 3 लाख 50 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जाना प्रस्तावित है।

76. किसानों को एक ही छत के नीचे आवास, नवीन तकनीक एवं आदान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, एक किसान भवन इस वर्ष जयपुर में निर्माणाधीन है। इसी तर्ज पर राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर किसान भवन बनाया जाना प्रस्तावित है।

77. कृषि विषय का अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है, फिर भी कृषि विषय में छात्राओं की अभिरूचि कम है। यह विडम्बना पूर्ण है कि कृषि की जो कला स्वयं स्त्रियों की पहल से विकसित हुई थी, वही उनके ज्ञान से वंचित हो रही है। अत: कृषि विषय की ओर आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाकर उच्च माध्यमिक कक्षा की छात्राओं को 1 हजार

रुपये के स्थान पर 3 हजार तथा स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं को 3 हजार रुपये के स्थान पर 5 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

78. उन्नत एवं प्रमाणित बीजों के वितरण में लगभग 1 लाख 50 हजार क्विंटल की वृद्धि करते हुए, आगामी वर्ष में 9 लाख क्विंटल किया जायेगा। आगामी वर्ष में एक नया बीज विधयन संयंत्र IGNP क्षेत्र में लगाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कृषि के विविधीकरण पर बल देते हुए उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन हेतु राज्य बीज निगम द्वारा इन फसलों के 5 हजार क्विंटल उन्नत बीज का उत्पादन किया जायेगा। कृषि विपणन बोर्ड व निजी क्षेत्र के सहयोग से इनके विपणन के लिए आधारभूत सुविधायें विकसित की जायेंगी।

पशुधन :

79. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी किसी जगह की अर्थव्यवस्था तभी विकसित परिलक्षित होती है, जब उसके पशुधन विकसित होते हैं। राज्य में पूर्व की पशु प्रजनन नीति (Breeding Policy) में संशोधन कर, नई नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है।

80. पशु चिकित्सा सेवा के विस्तार हेतु निजी सहभागिता के आधार पर 50 नये पशु चिकित्सालय एवं 100 नये उप-केन्द्र खोले जायेंगे। इसके लिए भूमि एवं भवन तथा आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। आगामी वर्ष में 200 नये पशु चिकित्सकों की भर्ती भी की जायेगी।

81. राज्य की एकमात्र Biological Products Laboratory हेतु ISO-2001 प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, इसे देश की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रयोगशाला में Tissue Culture Vaccine भी बनाया जाना प्रस्तावित है।

वन एवं वन्यजीव :

82. आगामी वर्ष में वानिकी विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 90 लाख पौधों का वितरण प्रस्तावित है। वृक्षारोपण से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत पौध

वितरण विद्यार्थियों के माध्यम से किये जायेंगे, जिनमें छात्राओं को प्राथमिकता दी जायेगी। वानिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 125 लाख मानव श्रम दिवसों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

83. ताल छापर अभयारण्य अपने काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके समग्र विकास के लिए वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपये की पंचवर्षीय कार्य योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत आगामी वर्ष में 1 करोड़ 10 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।

84. बारां में किशनगंज एवं शाहबाद के सहरिया क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजनाओं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं अकाल राहत कार्यों से राशि dove-tail करते हुए वन भूमि के विकास हेतु इस वर्ष में 3 करोड़ 50 लाख रुपये के व्यय से, 4 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में closures बनाये गये। इस कार्य में स्थानीय चार हजार सहरिया परिवारों को जोड़ते हुए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार का वन प्रबंधन व विकास का कार्य हाथ में लिया गया। आगामी वर्ष में भी 4 हजार हैक्टेयर नये क्षेत्र लिये जाकर इतने ही नये सहरिया परिवारों को जोड़ते हुए इसी प्रकार के closures बनाये जायेंगे, जिन पर 3 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है।

सहकारिता :

85. केन्द्रीय वित्तमंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि किसान को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिले। हम और हमारे किसान इस आश्वासन की क्रियान्विति की उत्सुक्तापूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन वित्तमंत्रीजी ने सहकारी बैंकों पर आयकर लगाने की घोषणा भी की है। हम इस बात से चिंतित हैं कि कदाचित् इससे ब्याज की दर बढ़ेगी, घटेगी नहीं।

86. लम्बे समय के उपरान्त इस वर्ष दुग्ध सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न कराये गये। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लगभग तीन दशकों के बाद कृषि उपज मंडियों के चुनाव कराये जाने प्रस्तावित हैं। यह निश्चय ही जन-प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में, सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है।

तारांकित-27 जुलाई, 2004-प्रश्नोत्तर

श्री रामलाल (बनेड़ा) : चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने कराये हैं और आप श्रेय ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : 87, विभिन्न जिलों में संचालित समग्र सहकारी विकास परियोजना के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

87. विभिन्न जिलों में संचालित समग्र सहकारी विकास परियोजना के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम से शेष रहे जिलों में इसे चरणबद्ध तरीके से संचालित करने का निर्णय लिया है। आगामी वर्ष में 5 और जिलों में यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। पांच वर्ष की परियोजना अवधि में इन जिलों की सहकारी संस्थाओं को करीब 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

88. सरसों एवं अन्य कृषि जिंसों की खरीद तथा उर्वरकों की समय पर उपलब्धता बनाये रखने के लिए, सहकारी संस्थाओं में भंडारण के लिए गोदामों की कमी महसूस की जाती रही है। इसके लिये राज्य की 484 सहकारी संस्थाओं में एक लाख 14 हजार मैट्रिक टन भंडारण क्षमता वृद्धि के लिए गोदाम निर्मित किये जायेंगे। आगामी वर्ष में इस पर करीब 37 करोड़ 42 लाख रुपये का व्यय संभावित है।

89. राज्य के सहकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान Spinfed की गुलाबपुरा और गंगापुर कताई मिलों में 48 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से संचालित 'टफ' परियोजना के अच्छे परिणाम दिखाई देने लगे हैं। Spinfed की हनुमानगढ़ स्थित कताई मिल के लिए 29 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से भी 'टफ' परियोजना लागू कर उसके आधुनिकीकरण और पुनर्वास का कार्यक्रम बनाया गया है। इससे मिल में नवीनतम तकनीक की मशीनों की स्थापना कर सूत की गुणवत्ता व उत्पादकता को बढ़ाया जा सकेगा, ताकि यह मिल निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा में सफलतापूर्वक कार्य कर सके।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

निवेश व औद्योगिक विकास :

90. राज्य सरकार की नियोजन प्रोत्साहन नीति एवं उत्प्रेरक भूमिका के परिणामस्वरूप राजस्थान में निवेश और औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। इस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में एक लाख नये रोजगार सृजन के लक्ष्य को माह जनवरी, 2006 में ही प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2006-07 में भी एक लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराने का लक्ष्य है, जिसमें रीको व राजस्थान वित्त निगम द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व विस्तार के माध्यम से 17 हजार 500 तथा प्रशिक्षण, ऋण व विपणन सहायता के माध्यम से 82 हजार 500 लोगों को रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे।

91. राज्य के दस्तकारों के उत्पाद सीधे क्रेताओं तक पहुंचाने व विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु 10 विभिन्न जिलों में ग्रामीण हाट स्थापित किये गये हैं। इनकी सफलता को देखते हुए राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे हाटों के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है।

92. वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ किये गये 5 clusters के विकास में अच्छी प्रगति होने पर 10 और नये clusters का विकास किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2006-07 में 4 करोड़ 73 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

93. राज्य में इस वर्ष पांच स्थनों पर विभिन्न बैंकों की सहायता से ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RUDSETI) स्थापित किये जा रहे हैं। आगामी वर्ष में कुछ अन्य जिलों में भी बैंकों द्वारा ऐसी संस्थाएं स्थापित की जायेंगी। इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाकर, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इन युवाओं को स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज में 2 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु शीघ्र ही विस्तृत योजना घोषित की जायेगी।

94. इस वर्ष सिकंदरा में Stone Park स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। आगामी वर्ष में इस तरह का एक स्टोन पार्क धौलपुर जिले में Public Private Partnership के आधार पर CDOS के माध्यम से स्थापित किया जायेगा।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

95. आगामी वर्ष में धर्मस्थला ट्रस्ट व बैंकों की सहायता से बारां जिले में आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक वृहद कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। इसके माध्यम से एक लाख परिवारों को तकनीक हस्तांतरण, रोजगार के साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का पानी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। साथ ही लगभग 40 हजार हैक्टेयर ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना भी प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 9 हजार स्वयं सहायता समूह गठित किये जायेंगे। जिनको आगामी 5 वर्षों में 135 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाना सम्भावित है।

96. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयोजन से खादी एवं ग्रामोद्योग का एक नया प्रशिक्षण केन्द्र पुष्कर में प्रारम्भ किया गया है। इसी प्रकार आगामी वर्ष में एक और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जिसके लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

97. खादी, हथकरघा एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता व विपणन व्यवस्था सुधारने पर बल दिया जा रहा है। आधुनिक युग के अनुरूप Packaging, Designing एवं Marketing हेतु आगामी वर्ष के बजट में 2 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

98. बुनकरों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। राज्य सरकार बुनकर के बीमा अंशदान का 50 प्रतिशत वहन करेगी, जिससे मात्र 100 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर कोई भी बुनकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। आगामी वर्ष में 5 हजार बुनकर परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

99. राज्य में हस्तशिल्प विपणन को प्रोत्साहन देने हेतु जयपुर शहर की मिर्जा इस्माइल रोड पर एक भव्य Mall अगले वर्ष कार्यशील कर दिया जायेगा। इसी तरह जलमहल के सामने दिल्ली हाट की तर्ज पर एक वृहद क्राफ्ट हाट भी निर्माण कर कार्यशील कर दिया जायेगा। इससे प्रदेश के दस्तकारों को अपना उत्पाद सीधे पर्यटकों को बेचने का अवसर मिलेगा।

100. सिलोरा-किशनगढ़ में public private partnership में एक एकीकृत Textile Park स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 270 करोड़ रुपये का

विनियोजन सम्भावित है। इस पार्क में लगभग 50 आधुनिक weaving units स्थापित होंगी। इस Project से करीब 2 हजार 500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

101. हम चाहते हैं कि हर पर्यटक हमारी प्राकृतिक व पुरातात्विक सम्पदा से परिचित और अभिभूत हो। हमारी कोशिश होगी कि हर पर्यटक अपने हृदय में हमारे रंग-बिरंगे प्रदेश की खूबसूरत यादें लेकर जाये। राज्य में पर्यटकों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप होटलों की मांग भी बढ़ी है। अत: इस क्षेत्र के आधारभूत ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने हेतु राज्य में नई होटल नीति मई के अंत तक घोषित की जायेगी।

102. आस्था का सम्मान करना व कला को प्रश्रय देना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी है। गत दो वर्षों में पर्यटन, कला एवं संस्कृति हेतु आयोजना मद में 66 करोड़ 30 लाख रुपये आवंटित किये गये। अगले वित्तीय वर्ष में आयोजना मद में 50 करोड़ 3 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

103. राज्य के पुरातात्विक भवनों एवं पुरावस्तुओं के महत्व को देखते हुए Heritage Protection and Promotion Board का गठन किया जायेगा, जिसके लिए आगामी वर्ष में एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह बृज क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास हेतु एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जायेगी।

104. राजस्थान को विरासत में कई परकोटे एवं नगरद्वार मिले हैं, जो संरक्षण के अभाव में ध्वस्त हो रहे हैं, आगामी वर्ष नगरद्वारों के संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की जायेगी एवं इस प्रयोजनार्थ 2 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

आधारभूत संरचना :

105 आपको याद होगा कि मैंने, मेरे पिछले बजट भाषण में चार महत्वपूर्ण राज्य मार्गों को RIDCOR के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय स्तर को क्रमोन्नयन करने की घोषणा की थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके लिए 18 जनवरी 2006 को 1 हजार करोड़ रुपये का अनुबंध कर कार्य प्रारंभ कर दिया

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

गया है। ये Mega highway फलौदी रामजी की गोल (292 किलोमीटर), हनुमानगढ़ से किशनगढ़ (407 किलोमीटर), अलवर से सिकंदरा (81 किलोमीटर) व बारां से झालावाड़ (195 किलोमीटर) को जोड़ेगे। लालसोट से कोटा (195 किलोमीटर) मार्ग के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। मई 2006 में इसका अनुबंध कर कार्य प्रारंभ किये जाने की संभावना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि ये सभी कार्य जनवरी 2008 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। ये सड़कें, राज्य में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के आधारभूत विकास के मेरे सपने को साकार करेगी, जिससे राज्य में अधिकाधिक निवेश व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

106 शासन की बागडोर सम्भालते ही हमने निर्माण की राह पर चलने और नई राह का निर्माण करने का संकल्प लिया था। मेरी सरकार द्वारा पांच वर्षों में निवेश को चार गुना बढ़ाते हुए 8 हाजर 483 करोड़ रुपये की योजना बनाई है। वास्तव में, प्रथम दो वर्षों में ही 2 हजार 87 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

107 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जहां पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रतिदिन 4 किलोमीटर सड़क बनती थी व एक गांव को सड़क से जोड़ा जाता था, उसकी तुलना में आज हमारी सरकार प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क बनाकर 4 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ रही है।

108 सड़क क्षेत्र में, यातायात को सहज एवं सुगम बनाने के लिए R.O.B. और उपमार्गों के निर्माण की एक अभूतपूर्व पहल करते हुए आगामी वर्ष में राज्य में 17 R.O.B. और 25 उपमार्गों का निर्माण प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है1

109 वाहन चालकों को अधिक कुशल व सड़क दुर्घटनाओं के प्रति सावधानी बरतने के लिए आगामी दो वर्षों में सभी जिलों में स्ववित्त पोषण के आधार पर Driving Track का निर्माण किया जायेगा, जहां पर मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इससे वाहन चालन दक्षता में अपेक्षित वृद्धि होगी।

110 औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण जिला मुख्यालयों के आस-पास के क्षेत्र में विकसित उप-नगरों से सम्बन्धित शहरों को परिवहन संसाधन से जोड़ने का प्रावधान है। आधारभूत सुविधाओं के अभाव में उप-नगरीय मार्गों

की इस योजना का अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा है। इस पूर्व योजना का पुनरावलोकन करते हुए मार्गों के गठन, सुविधायुक्त Bus Stands की स्थापना, एवं संचाललित होने वाले वाहनों की श्रेणी के निर्धारण आदि के सम्बन्ध में परिवहन एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जून 2006 तक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जानी प्रस्तावित है।

111 विद्युत की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु विद्युत उत्पादन को बढ़ाना तथा वितरण एवं प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्ष 2006-07 में योजना मद में विद्युत कम्पनियों हेतु 1 हजार 991 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

112 वर्ष 2005-06 में विद्युत की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिससे विद्युत उपलब्धता व उसकी मांग के बीच का अन्तर बढ़ गया है। विद्युत की बढ़ती हुई मांग राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का प्रतीक है। राज्य सरकार ने अधिकतम विद्युत उत्पादन तथा अन्य राज्यों से अतिरिक्त विद्युत क्रय कर कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने का पूरा प्रयास किया है। चालू रबी के मोसम में गत वर्ष की अपेक्षा 100 लाख यूनिट प्रतिदिन अधिक अपूर्ति की गई। इस हेतु 525 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिजली क्रय की गई।

113 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद Feeders सुधार कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2005-06 में 850 Feeders के नवीनीकरण के विरूद्ध आगामी वर्ष में 3 हजार 500 Feeders पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस कार्यक्रम से विद्युत की छीजत में कमी आयेगी एवं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। वर्ष 2006-07 में 33 K.V. के 180 नये Grid Sub-Stations का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु गत वर्ष के 773 करोड़ 76 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2006-07 में 1 हजार 49 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

114 राज्य सरकार ने 4 हजार 500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि करने की व्यूह रचना बनाई है, जिसमें 1 हजार 500 मेगावाट क्षमता की वृद्धि निजी क्षेत्र में होने की संभावना है। वर्ष 1996 में अन्तरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया को

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अपनाते हुए M/s West Power को लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु प्रायोजक घोषित किया गया था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पुनर्गठित consortium स्वयं आगे आया है और राज्य सरकार ने 1 हजार मेगावाट की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना दो चरणों में स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। परम्परागत ऊर्जा उत्पाद के लिए पहली बार निजी क्षेत्र में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस परियोजना से राज्य को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

115 राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम (RSMML) ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अनूठी पहल करते हुए दो वर्ष पूर्व जैसलमेर में 14.08 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये थे, जिनसे प्रतिवर्ष 270 लाख यूनिट बिजली राजस्थान Grid में दी जा रही है। यदि यही विद्युत कोयला आधारित ताप विद्युतघर से उत्पादित की जाती, तो वातावरण में प्रतिवर्ष करीब 15 हजार टन carbon di-oxide का और प्रदूषण होता है। इस आधार पर निगम को Kyoto protocol के अनुसार carbon credits प्राप्त हुए हैं। निगम carbon credits प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम कम्पनियों में से एक है।

116 ऊर्जा की कमी को देखते हुए गैर-परम्परागत ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार ने समय-समय पर कुछ सुविधाएं दी हैं और कुछ संशोधन भी किये हैं। हमारे प्रदेश में लाखों टन सरसों और अन्य कृषि उत्पाद होते हैं, जिन पर आधारित Biomass ऊर्जा संयंत्र लगाये जा सकते हैं। अत: Biomass जनित ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक नीति बनाना आवश्यक है। सरकार शीघ्र ही यह नीति जारी करेगी।

117 खनन क्षेत्र के श्रमिकों की स्वास्थ्य सुविधा के विकास हेतु, चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में, खान मालिकों की सहभागिता से श्रमिकों के समन्वित चिकित्सा जांच एवं बीमा कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

118 इस वर्ष पेयजल आपूर्ति में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की गई है। आगामी वर्ष के लिए 10 हजार अलाभान्वित व आंशिक लाभान्वित गांवों, ढाणियों, अनुसूचित जाति व जनजाति की 500 बस्तियों तथा सभी राजकीय विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

119 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत जनवरी 2006 तक कुल 2 लाख 14 हजार 235 व्यक्तिगत आवासीय शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आगामी वर्ष में सर्वशिक्षा अभियान व DPEP के सहयोग से राजकीय भवनों में संचालित 48 हजार 892 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस पर कुल 97 करोड़ 78 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

120 राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आगामी वर्ष में 3 से 5 PPM Flouride वाले 7 हजार 699 गांवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु UNICEF की सहायता से 1 करोड़ 50 लाख रुपये के व्यय से 100 Rain Water Harvesting Structures का निर्माण किया जायेगा।

121 बीसलपुर बांध से टोंक जिले के 427 गांवों व 2 कस्बों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु अगले वर्ष 85 करोड़ रुपये लागत की परियोजना उप निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

122 वर्तमान में 3 हजार 529 करोड़ रुपये की लागत की 17 वृहद पेयजल योजनाओं पर कार्य चालू है। राज्य के पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों की पेयजल समस्या के दूरगामी समाधान हेतु 6 हजार 660 करोड़ रुपये की लागत से 12 वृहद योजनायें चिन्हित की गई हैं। इन योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए भारत सरकार से सहायता लेने हेतु प्रयास जारी हैं।

123 जल संसाधन की वृहद कार्ययोजना बनाने एवं बेहतर प्रबन्धन तंत्र विकसित करने के लिए Rajasthan Water Initiative का गठन किया जा रहा है। यह पहल दावोस World Economic Forum के सम्मेलन की एक उपलब्धि है।

124 आगामी वर्ष में 25 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जाकर एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अलावा, 57 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण कार्य कराया जाना भी प्रस्तावित है।

125 सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करते हुए अगले वर्ष अंधेरी, ल्हासी, पीपलाद एवं गागरीन में 4 नई मध्यम सिंचाई परियोजनायें केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति उपरान्त प्रारम्भ की जायेंगी। साथ ही बालापुरा Lift, अहमदी, पृथ्वीपुरा, चैलीया, रेवा, बागली, कड़माली, जाल सागर, भीखाभाई सागवाड़ा

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

Canal R.D. 32.20 से 37.70 किलोमीटर एवं 37.70 से 51.76 किलोमीटर नई लघु सिंचाई परियोजनायें भी शुरू की जायेंगी।

126 परवन बृहद परियोजना, राजगढ़-मनोहरथाना एवं हथियादेह मध्यम परियोजनाएं तथा धौलपुर Lift परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

127 हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में खरीफ वर्ष 2001 से रबी 2002-03 तक की फसलों का आबियाना वर्ष 2004 में माफ कर दिया गया था। किन्तु, इससे पूर्व ही कुछ काश्तकारों ने इन फसलों का सिंचाई कर जमा करा दिया था। इन काश्तकारों के अनुरोध पर इनको भी छूट का लाभ देते हुए, उनके द्वारा पूर्व में जमा करवाई गई राशि को उनके सिंचाई कर की लम्बित मांग के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

128 साथ ही इन्हीं जिलों के नहरी क्षेत्रों में खरीफ 2003 से खरीफ 2005 तक की फसलों का बकाया आबियाना जमा कराने की अवधि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत इस क्षेत्र के किसानों को 30 अप्रैल, 2006 तक बकाया जमा कराने पर उन्हें ब्याज वसूली से छूट मिल सकेगी।

129 Japan Bank for International Co-operation की ऋण सहायता से 26 जिलों में 415 लघु सिंचाई परियोजनाओं की पुनरुद्धार की 612 करोड़ 39 लाख रुपये की परियोजना को आगामी वर्ष से शुरू कर 6 वर्षों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के पूर्ण होने पर न केवल 1 लाख 27 हजार 442 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें सुनिश्चित हो सकेंगी बल्कि 12 हजार 744 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

130 European Commission के साथ 450 करोड़ रुपये के State Partnership Programme को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 10 जिलों की लगभग 25 पंचायत समितियों में पंचायती राज संस्थाओं एवं जन उपभोक्ताओं संघों के माध्यम से जल संरक्षण कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

131 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के आधुनिकीकरण एवं पुनरूद्धार हेतु आगामी चार वर्षों में 300 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 20

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हजार हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण हेतु 28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सिद्धमुख नोहर परियोजना में 22 हजार हैक्टेयर क्षेत्र और अमर सिंह जस्साना परियोजना में 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खाले निर्माण हेतु क्रमश: 18 करोड़ और 8 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

132 चालू वर्ष में चम्बल परियोजना में नहरों का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु 7 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया था। आगामी वर्षों में दाहिनी मुख्य नहर के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 20 करोड़ रुपये और बांई मुख्य नहर के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

133 शहरी विकास समाज की समृद्धि का एक मानक रहा है। जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन, जल निकासी, शहरी यातायात, Slum सुधार तथा गंदी बस्ती में रहने वालों और गरीबों हेतु अत्यंत कम लागत की आवास परियोजनाओं आदि के लिए आगामी वर्ष में 180 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

134 नागरिकों की आवास सम्बन्धी मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु ''आवास नीति'' का बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। शहरी क्षेत्र में बहु मंजिली इमारतों तथा लोगों में Flat में रहने के प्रति रूझान को देखते हुए Flat के निवासियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु शीघ्र ही Apartment Act लाया जायेगा। बदलती हुई परिस्थिति एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर एक आदर्श नगरपालिका अधिनियम का बनाया जाना भी प्रस्तावित है।

135 राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे आवासों की किश्तों पर देय ब्याज दरों में एक प्रतिशत तक की कमी की जायेगी। इससे लगभग 50 हजार आवंटियों को लाभ मिलेगा।

136 नगरीय क्षेत्र में जल के दोहन के फलस्वरूप जल स्तर को गिरने से रोकने के लिए सभी भवनों में वर्षा जल संग्रहण को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में नगरीय क्षेत्र की पुरानी बावडियों, तालाबों एवं

जोहड़ों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण हेतु जन-सहभागिता कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।

प्रशासनिक सुविधायें एवं सुधार :

137. आज भी राज्य की भिन्न-भिन्न तहसीलों में पैमाइश के अलग-अलग मानक चह रहे हैं। अत: कृषि भूमि के मापन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, आगामी वर्षों में पूरे राज्य में एक समान ज़रीब की मैट्रिक प्रणाली लागू की जायेगी। भूमि के नक्शे के Digitisation का कार्य शुरू किया जायेगा, जिससे कि खातेदार को जमाबंदी computerised नक्शे के साथ दी जा सके।

137. राज्य के ऐसे उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, जो तहसील से क्रमोन्नत होकर बने हैं, के भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशासनिक प्रबंधन की दक्षता हेतु यथासम्भव नये उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के भवन तहसील कार्यालय भवन के साथ-साथ एक ही Campus में बनाये जायेंगे।

138. वक्फ बोर्ड के नये कार्यालय भवन हेतु अगले दो वर्षों में 1 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

139. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के स्थान पर नया काश्तकारी अधिनियम लाया जायेगा। इसके लिए मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त विभिन्न सुझावों व बिन्दुओं का परीक्षण किया जा रहा है।

140. विभिन्न न्यायालयों की भवन सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के भवन विस्तार एवं भूमिगत Parking के लिए क्रमश: 22 करोड़ 78 लाख रुपये एवं 5 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बीकानेर में न्यायालय भवन का निर्माण पूरा होने के निकट है और बनीपार्क, जयपुर में 8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ में 3 करोड़ 34 लाख रुपये, नाथद्वारा में 1 करोड़ 84 लाख और मेड़ता में 67 लाख रुपये की अनुमानित लागत से न्यायालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

141. राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ का भवन काफी पुराना हो जाने एवं मुकदमों की संख्या बढ़ने से पक्षकारों, अभिभाषकों तथा न्यायाधिपतिगण को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अत: इस हेतु नया भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर Architectural Competition के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

142. अचल सम्पत्ति के पंजीयन को आमजन हेतु और सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से जयपुर शहर में एक पायलट कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधानुसार अपनी अचल सम्पत्ति, जो जयपुर शहर, सांगानेर अथवा आमेर तहसील में कहीं भी स्थित हो, का पंजीयन जयपुर के किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय में करा सकेगा। यह Anywhere Registration की व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू की जायेगी।

143. अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों की पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं जनता के लिए सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उस अचल सम्पत्ति के मौका निरीक्षण की व्यवस्था समाप्त की जा रही है, ताकि सभी दस्तावेज तत्काल पंजीबद्ध करके लौटाये जा सकें। 25 लाख रुपये से अधिक की मालियत के मामलों में पंजीयन के पश्चात् सभी मामलों में तथा अन्य प्रकरणों में random परीक्षण किया जायेगा। गलत तथ्य बताकर करापवंचन पाये जाने पर नियमानुसार शास्ति वसूल की जायेगी।

सैनिक कल्याण :

145. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना Phase-II में 11 हजार भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित भूमि का पूर्ण आवंटन किया जा चुका है। आवंटन से शेष पूर्व सैनिकों के लिए भी अतिरिक्त भूमि आरक्षित कर, आवंटन की कार्रवाई की जायेगी।

146. इस वर्ष से दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों की पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं को दी जा रही मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की गई थी। आगामी वर्ष से इसे और बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा। द्वितीय

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

विश्व युद्ध के पेंशन प्राप्त कर रहे सैनिकों को दी जा रही पेंशन में इस वर्ष बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन अब आगामी वर्ष से इनको भी 800 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जायेगी।

147. सैनिक कल्याण विभाग व जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों का Computerisation किया जायेगा। डीडवाना (नागौर), शेरगढ़ (जोधपुर), नीमकाथाना (सीकर), बहरोड़ (अलवर) में नये सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जायेंगे। भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं के बच्चों हेतु कोटा के Coaching Institutes में admission लेने के पश्चात् उनके रहने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की सहभागिता से छात्रावास खोला जायेगा।

148. Gallantry Award धारकों को उनके पराक्रम के लिए देय नकद राशि में 10 गुनी वृद्धि की जायेगी। इस प्रकार परमवीर चक्र हेतु यह राशि 22 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रुपये, अशोक चक्र हेतु 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये, महावीर चक्र हेतु 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये, कीर्ति चक्र हेतु 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये, वीर चक्र हेतु 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 70 हजार रुपये, शौर्य चक्र हेतु 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये, सेना, वायुसेना, नौसेना मेडल हेतु 3 हजार रुपये से बढ़कर 30 हजार रुपये की जायेगी।

कर्मचारी कल्याण :

149. शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित पुलिस कर्मियों को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये व शौर्य के लिए पुलिस पदक हेतु पूर्व में देय राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया है।

150. सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों हेतु चिकित्सा रियायत योजना वर्ष 1981 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने पर लगातार बढ़ते व्यय भार को देखते हुए इस वर्ष सरकार ने 15 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये हैं, जो पूर्व में किसी भी वर्ष में उपलब्ध करवाये गये अंशदान से अधिक है।

151. सामान्यतया, पूर्व में राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की जाती थी, उसमें समस्त Arrear को GPF खाते में जमा किया जाता रहा है। परन्तु

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इस वर्ष सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2005 से देय महंगाई भत्ते की किश्त के अधिकतर हिस्से का भुगतान नकद में किया गया है, जो कदाचित अभूतपूर्व है।

152. राज्य कर्मचारियों की सुविधा हेतु एक व्यापक web-portal बनाया जायेगा, जिसके माध्यम से राज्य बीमा एवं GPF खातों सम्बन्धी सूचना कर्मचारियों द्वारा Internet के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।

153. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों में दैनिक भत्ते (Halting Allowance) की दरें पूर्व में वर्ष 1992 में संशोधित की गई थीं। 14 वर्ष पूर्व निर्धारित दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। अत: इस हेतु नये नियम बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

कर प्रस्ताव :

154. अध्यक्ष महोदया, अब मैं सदन के समक्ष कर प्रस्तावों का उल्लेख करूंगी।

155. मुझे सदन को अवगत कराते हुये प्रसन्नता हो रही है कि राज्य की कर प्रणाली में हमारी सरकार द्वारा किये गये सुधारों, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा कुशल कर प्रबंधन के उत्साहवर्धक परिणाम उत्तम कर संग्रहण के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि गत वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 की कर आय में लगभग 15.50 प्रतिशत वृद्धि होगी। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि राज्य के व्यवसाय, उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु कर सुधारों की हमारी यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी।

156. जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस वित्तीय वर्ष में अधिकांश राज्यों ने वैट कर व्यवस्था लागू कर दी है। हमारे पड़ौसी राज्य मध्य प्रदेश एवं गुजरात के साथ-साथ छत्तीसगढ़ ने भी 1 अप्रेल, 2006 से वैट लागू करने की घोषणा की है। राज्य के व्यापार, उद्योग, उपभोक्ता संगठनों, अर्थशास्त्रियों, कर सलाहकारों तथा जनप्रतिनिधियों से गत दिनों विस्तृत विचार विमर्श करने पर यह बात उभर कर सामने आई है कि राज्य के औद्योगिक विकास एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा राज्य के समग्र विकास के लिए प्रगतिशील वैट व्यवस्था को अपनाना राज्य हित में होगा।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

157. केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण से इंगित होता है कि केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किये जाने, एवं इससे होने वाले राजस्व की सम्भावित हानि की क्षतिपूर्ति के उपायों की ओर केन्द्रीय सरकार और राज्य के वित्त मंत्रियों की Empowered Committee अग्रसर हैं। सदन की अनुमति से राज्य में दिनांक अप्रैल 1, 2006 से वैट कर प्रणाली प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है।

158. वैट कानून के लागू होने पर उद्योग एवं व्यापार से जुडे dealers को प्रारम्भ में कुछ भ्रान्तियां एवं कठिनाईयां होना स्वाभाविक है। अत: उनकी प्रारम्भिक समस्याओं के सामयिक समाधान हेतु राज्य स्तर पर एक अभाव अभियोग समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह समिति वैट लागू होने के प्रथम वर्ष में व्यापारिक संस्थानों एवं कर सलाहकारों से विचार विमर्श कर, उनसे प्राप्त होने वाले सुझावों पर अपनी राय राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। यही नहीं, जिला स्तर पर भी वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ऐसी समितियों का गठन किया जायेगा।

159. यहां मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूंगी कि इस कानून के तहत राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार द्वारा गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों की Empowered Committee द्वारा निर्धारित दरों को अपनाया जायेगा। परन्तु राज्य की विशेष आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं राखी, कृपाण, प्रसाद एवं पूजन सामग्री, चॉक एवं तख्ती, सरकंडे से बने मुड्ढे, मुरमुरे, पोहा, खील, पत्तल-दोने, पतंग, हस्त निर्मित अगरबत्ती, हस्तशिल्प जैसे Blue Pottery, puppet इत्यादि को वैट से मुक्त रखना भी प्रस्तावित करती हूं। इन सब कर मुक्त वस्तुओं की विस्तृत सूचना वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाईट पर देखी जा सकेगी।

160. वर्तमान में मोटर पार्टस एवं accessories पर 1 प्रतिशत तथा इलैक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रोनिक सामान, उनके पार्टस एवं accessories पर 4 प्रतिशत प्रवेश कर है। इन वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में राज्य में विनिर्माण के काम में लेने पर राज्य के उद्योगों पर अनावश्यक भार पड़ रहा है, जिससे उन्हें दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई हो रही है। इसके निराकरण हेतु मैं, राज्य में इलैक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रोनिक उत्पाद एवं मोटर वाहनों के विनिर्माण में

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रयुक्त किये जाने पर, उक्त पार्टस एवं accessories को प्रवेश कर से मुक्त करना प्रस्तावित करती हूं।

161. राज्य में आटो पार्टस एवं ancillaries की नई इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैं, इनकी केन्द्रीय विक्रय कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित कर रही हूं।

162. राज्य में खाद्य तेल उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा इस उद्योग से जुडे सैकड़ों व्यवसाईयों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से मैं कुछ प्रस्ताव कर रही हूं।

163. वर्तमान में समस्त प्रकार के oil seeds पर 1.6 प्रतिशत मंडी शुल्क देय है, इसे घटाकार 1 प्रतिशत करना प्रस्तावित करती हूं। सरसों एवं इसके तेल का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में non-SSI ऑयल मिलों द्वारा सरसों की खरीद पर 2 प्रतिशत purchase tax देय है, इसे घटाकर 1 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में सरसों के तेल को राज्य से बाहर बेचे जाने पर 2 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर देय है, जिसे घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। मैं आशा करती हूं कि टैक्स रेट के इस rationalization से, राज्य के सरसों आधारित तेल उद्योग के व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी तथा इससे Tax Compliance भी बेहतर होगी।

164. इसके अलावा मैं तिल पर देय 1 प्रतिशत प्रवेश कर को समाप्त करना प्रस्तावित करती हूं। तिल पर वर्तमान में 4 प्रतिशत purchase tax देय है। तिल उद्योग को राहत प्रदान करने की दृष्टि से दिनांक 30 मार्च, 2001 एवं इसके बाद की अवधि के लिए तिल पर purchase tax को 4 प्रतिशता से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। मुझे विश्वास है कि इन राहतों से हमारा यह उद्योग पनपेगा।

165. वर्तमान में सिगरेट, चिरूट, सिगार तथा सिगारीलो पर 6 प्रतिशत, गुटका और चूरी को सम्मिलित करते हुये जर्दायुक्त पान मसाला पर 16 प्रतिशत एवं सादा पान मसाला पर 4 प्रतिशत प्रवेश कर देय है। इन पदार्थों के सेवन से जनस्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, इनके उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से, सिगरेट, चिरूट, सिगार तथा

सिगारीलो पर प्रवेश कर की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत तथा गुटका और चूरी को सम्मिलित करते हुये जर्दायुक्त पान मसाला पर प्रवेश कर की दर को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, तथा सादा पान मसाला पर प्रवेश कर की दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित कर रही हूँ।

166. मैं Wind Mill एवं उससे सम्बन्धित उपकरणों पर 1 प्रतिशत, Optical Fibre Cable, Polyethylene Insulated Jelly Filled Telecommunication cables पर 2 प्रतिशत, Ceramic एवं Glazed Tiles, ग्लास और ग्लास शीट, सभी प्रकार के सेनेटरी का सामान और फिटिंग्स, पाइप और पाइप फिटिंग पर 4 प्रतिशत प्रवेश कर लगाना प्रस्तावित कर रही हूं। इन समस्त वस्तुओं को राज्य में कर चुका कर खरीदने की स्थिति में इन्हें प्रवेश कर से मुक्त रखा जायेगा।

विद्युत शुल्क :

167. Captive Power Generation पर विद्युत शुल्क राज्य में उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाने में बाधक बना है। राज्य में नये उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा विद्यमान उद्योगों को राहत प्रदान करने हेतु मैं, Captive Power Generation को विद्युत शुल्क से मुक्त करना प्रस्तावित करती हूं। मुझे विश्वास है कि इससे राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भू-जल संरक्षण :

168. हमारे राज्य में पानी की भारी कमी है और राज्य में जनसंख्या में वृद्धि तथा विकास की विभिन्न गतिविधियों में पानी की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु भू-जल संसाधनों पर निर्भरता निरन्तर बढ़ रही है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भू-जल स्त्रोतों के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग में हो रहे अत्यधिक दोहन से जल स्तर निरन्तर नीचे गिरता जा रहा है जो चिन्ता का विषय है। हमारी प्राथमिकता जनसाधारण को पेयजल उपलब्ध कराना एवं कृषि हेतु जल उपलब्ध कराना है। चूंकि अत्यधिक भू-जल दोहन जनसाधारण एवं किसानों के हित में नहीं है, अत: इन संसाधनों पर नियंत्रण एवं उनके उचित

उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए The Rajasthan Regulation and Control of the Development and Management of Ground Water Bill, 2006 सदन के इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके तहत भू-जल के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग पर शुल्क लगाना प्रस्तावित है। इस शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि से एक फण्ड का गठन किया जायेगा। जिससे जल-संरक्षण कार्यों को गति मिल सकेगी।

मनोरंजन एवं विलासिता कर :

169. राज्य में होटल आदि पर वर्तमान में विलासिता कर 8 प्रतिशत की दर से 1 हजार रुपये एवं इससे अधिक कमरों का प्रतिदिन किराया होने पर देय है। मैं, प्रति कमरा प्रतिदिन का किराया 3 हजार या इससे अधिक होने पर विलासिता कर की दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना प्रस्तावित कर रही हूं। परन्तु हैरिटेज होटलों के राज्य के पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए उन पर विलासिता कर की वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है।

170. केबल नेट वर्क के माध्यम से सेवादाताओं को मनोरंजन कर की परिधि में प्रथम बार वर्ष 1999 में लाया गया था। लेकिन कम्पोजीशन स्कीम के अनुसार राशि जमा कराने का विकल्प दिये जाने से इस मद से नगण्य कर राजस्व की प्राप्ति हो रही है। राज्य में केबल नेट वर्क बढ़ते हुये प्रचलन से राज्य के सिनेमाओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव तथा केबल आपरेटर्स द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही राशि को दृष्टिगत रखते हुये मैं, केबल नेट वर्क की वर्तमान कम्पोजीशन स्कीम को समाप्त करते हुए, प्रति कनेक्शन मनोरंजन कर की राशि को 10 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20 रुपये प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता कनेक्शन करना प्रस्तावित करती हूं।

171. वीडियो पार्लर एवं वीडियो सिनेमा पर Rajasthan Video Films (Regulation of Exhibition) Act, 1990 एवं Rules, 1992 के अधीन मनोरंजन कर देय है। केबल नेट वर्क के विस्तार से विडियो पार्लर एवं विडियो सिनेमाओं की

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उपादेयता लगभग समाप्त हो गई है। अत: इस अधिनियम एवं नियमों को repeal किया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन :

172. राज्य में गत वर्षों में जनसंख्या में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप जन आकांक्षाओं की अपेक्षानुसार यातायात के साधनों का विस्तार नहीं हो सका है। अत: कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले आमजन को उपखण्ड तथा जिला मुख्यालयों तक सविधाजनक सीधी सेवाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के स्टेज कैरिज वाहनों को राष्ट्रीय मार्गों पर 50 किलोमीटर तक overlap की छूट देने पर विचार किया जायेगा। इसके अलावा 26 राष्ट्रीयकृत मार्गों को अन्तरराष्ट्रीयकृत करने पर भी विचार किया जाना प्रस्तावित है।

173. औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण जिला मुख्यालयों के आस-पास के क्षेत्र में उप-नगर विकसित हो रहे हैं। आधारभूत सुविधाओं के अभाव में, इन उप-नगरों को, सम्बन्धित जिला मुख्यालयों से यातायात के साधन सुलभ कराने की योजना के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। अत: यह आवश्यक हो गया है कि इस योजना को review किया जावे। इस हेतु मार्गों का गठन करने, स्थानीय निकायों द्वारा सम्पूर्ण सुविधायुक्त बस स्टेण्डों की स्थापना करने, एवं इन मार्गों पर संचालित होने वाले वाहनों की श्रेणी इत्यादि के निर्धारण के सम्बन्ध में परिवहन विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे। इस योजना से उप-नगरों से जिला मुख्यालय तक प्रतिदिन आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए सुचारु उप-नगरीय परिवहन व्यवस्था विकसित हो सकेगी।

174. राज्य में पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए मैं यह प्रस्तावित करती हूं कि, पर्यटक अनुज्ञापत्र से भिन्न संविदा अनुज्ञापत्रों पर संचालित वाहनों पर देय विशेष पथ कर की वार्षिक दर, जो वर्तमान में चैसिस लागत का 36 प्रतिशत एवं यान की लागत का 22 प्रतिशत है, को घटा कर 1 अप्रैल, 2006 से क्रमश: 24 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत किया जाये। मेरा विश्वास है कि इस कदम से कर अपवंचना में कमी होगी एवं राजस्व आय में भी वृद्धि होगी।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

175. मोटर वाहनों से हो रहे वायु जनित प्रदूषण से आम आदमी के स्वास्थ्य पर हो रहे कुप्रभाव को कम करने एवं पुराने वाहनों के प्रयोग को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान मोटर यान कराधान अनियियम, 1951 में संशोधन कर 15 वर्ष पुराने निजी वाहनों एवं 7 वर्ष से पुराने व्यावसायिक वाहनों पर ''ग्रीन टैक्स'' लगाया जाना प्रस्तावित है। इस टैक्स से प्राप्त राशि का उपयोग मोटर वाहन जनित प्रदूषण पर अंकुश एवं नियंत्रण करने हेतु आधारभूत ढांचे के विकास के लिये किया जावेगा।

पंजीयन एवं मुद्रांक :

176. समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर गरीब महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, दस्तकारों आदि को राहत प्रदान करने हेतु यह प्रस्तावित है कि स्वयं सहायता समूहों एवं Differential Rate of Interest योजनाओं के ऋण सम्बन्धी दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क से पूर्णत: मुक्त किया जाए।

177. वर्तमान में स्टाक एक्सचेंज तथा सम्बद्ध संघों एवं व्यक्तियों द्वारा डीमेट खातों (इलेक्ट्रोनिक) के लेन-देन पर मुद्रांक शुल्क लागू नहीं है जबकि अब उक्त कारोबार डीमेट खातों से ही किया जाता है। इन खातों पर मुद्रांक शुल्क प्रत्यारोपित करने हेतु राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 में ''निष्पादन'', ''हस्ताक्षरित'', ''दस्तावेज'' एवं ''सिक्योरिटी'' की परिभाषाओं में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

अन्य :

178. वर्तमान में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जिला कलक्टर, सिवाय चक अथवा अन्य सरकारी भूमि को, शहरी स्थानीय निकायों यथा जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों, नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं को, सम्बन्धित जिला स्तरीय समितियों द्वारा निर्धारित भूमि दरों का निश्चित प्रतिशत लेकर आवंटित कर सकेंगे। यह प्रस्तावित है कि आगामी वित्तीय वर्ष से सरकारी भूमि के विक्रय के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य शहरी स्थानीय निकायों को

जो आय प्राप्त होगी, उसका जयपुर विकास प्राधिकरण 30 प्रतिशत हिस्सा एवं नगर सुधार न्यास 15 प्रतिशत हिस्सा राजकोष में जमा करायेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यासों द्वारा उनके पास शेष रहे हिस्से में से 15 प्रतिशत राशि स्थानीय शहरी निकायों को स्थानान्तरित की जायेगी।

179. वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं अन्य समान प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली बड़े भू-खण्डधारी समाज के विकास और कल्याण के लिए योगदान करने में सक्षम हैं। मैं, वित्त विधेयक के माध्यम से एक नया भूमि कर लगाना प्रस्तावित कर रही हूं जिससे कि इस विधेयक के दायरे में आने वाले भू-मालिकों पर यह कर लगाया जा सके। मैं, यह भी बताना उचित समझती हूं कि कृषि, आवासीय एवं सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि को इस कर के दायरे से बाहर रखा गया है।

180. मैं समझती हूं कि इस सदन का कोई भी सदस्य इस बात से असहमत नहीं होगा कि निर्धन और निर्बल को राज्य से सहायता मिलनी ही चाहिए। साधनों की कमी से अब तक हम इस तबके को वह सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाये हैं जिनकी इनको नितान्त आवश्यकता है। ना ही इन तबकों के आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंच पाये हैं। आधुनिकीकरण से उत्पन्न प्रदूषण जैसी नई समस्याओं से भी गरीब ही सबसे अधिक प्रभावित है। मैं चाहती हूं कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़े, और इन्हीं के लिए संसाधन एकत्रित करने हेतु मैंने ग्रीन टैक्स, भू-जल उपयोग पर शुल्क और भूमि कर इत्यादि इस बजट में प्रस्तावित किए हैं।

वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमान :

181. वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों में 1 हजार 523 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया था। बजट अनुमानों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में लगभग 30 करोड़ रुपये की कमी सम्भावित है, परन्तु राज्य के अपने कर राजस्व में लगभग 126 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की सम्भावना है। साथ ही, राजस्व व्यय में 450 करोड़ रुपयों की कमी सम्भावित है। इससे चालू वर्ष के संशोधित

अनुमानों में राजस्व घाटा 865 करोड़ 37 लाख रुपये रहना सम्भावित है। चालू वर्ष के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों का 7.42 प्रतिशत अनुमानित किया गया था, जो संशोधित अनुमानों के अनुसार घटकर 4.17 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

182. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं राजस्थान राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की दृष्टि से कम मात्रा में ऋण लेने से पूंजीगत प्राप्तियों में कमी हुई है। अत: संशोधित अनुमानों में 46 करोड़ 39 लाख रुपये का बजट अधिशेष ही अनुमानित है। वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

(निकटतम लाख रुपयों में)

1.	राजस्व प्राप्तियां	20 हजार	745 करोड़ 82 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	21 हजार	611 करोड़ 19 लाख रुपये
3.	राजस्व खाते में घाटा		865 करोड़ 37 लाख रुपये
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	8 हजार	233 करोड़ 11 लाख रुपये
5.	पूंजीगत व्यय	7 हजार	321 करोड़ 35 लाख रुपये
6.	पूंजीगत खाते में अधिशेष		911 करोड़ 76 लाख रुपये
7.	कुल बजट अधिशेष		46 करोड़ 39 लाख रुपये

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का-8 मार्च, 2006-उपस्थापन
(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान :

183. वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

(निकटतम लाख रुपयों में

1.	राजस्व प्राप्तियां	23 हजार	991 करोड़ 35 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	24 हजार	34 करोड़ 35 लाख रुपये
3.	राजस्व खाते में घाटा		43 करोड़ रुपये
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	9 हजार	689 करोड़ 92 लाख रुपये
5.	पूंजीगत व्यय	9 हजार	586 करोड़ 7 लाख रुपये
6.	पूंजीगत खाते में अधिशेष		103 करोड़ 85 लाख रुपये
7.	कुल बजट अधिशेष		60 करोड़ 85 लाख रुपये

184. आगामी वर्ष का राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों का मात्र 0.18 प्रतिशत रहना अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि बारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2008-09 में राजस्व घाटा समाप्त करने की सिफारिश की है। हमें आशा है कि हमारा राजस्व घाटा, वर्तमान अनुमानों के अनुसार, सम्भवत: वर्ष 2007-08 में ही समाप्त हो जायेगा।

185. मैं वर्ष 2006-2007 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूं। साथ ही राजस्थान राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षा के अनुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण, मैं सभा पटल पर रख रही हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

186. हमारा यह आय-व्ययक अनुमान समन्वय (Co-operation), समेकन (Consolidation) एवं सहभागिता (Participation) से प्रेरित है। यह हमारे आदर्शों को यथार्थ में परिणत करने की दिशा में किया गया संकल्प है। हमें

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

विश्वास है कि यह राज्य को समानता और स्वतंत्रता के साथ समृद्धि एवं संवृद्धि की नई दिशा देगा।

चलें, हम मिलकर लोक हित के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाहन करें। **सहनाभवतु सहनौभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तैजस्विना। वधीतमस्तु मा वि द्विषावहै।।**

यानि हम सभी साथ बैठें, साथ भोजन करें, साथ ही शौर्य को प्राप्त करें, साथ साथ तेजस्वितापूर्ण अध्ययन करें, किसी से द्वेष न करें।

मुझे विश्वास है कि -

हम चलें तो आंधियां, तूफान खुद ही चल पड़ेंगे।

सागरों की बात क्या हिमगिरी सरीखे ढल पड़ेंगे।

यह न समझो ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी।

हम चलें तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे।

187. इन्ही भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदस्यों के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूं।

आखिर में एक मिनट।

कल हमारी धार्मिक नगरी वाराणसी में बम विस्फोट से 20 से 22 लोगों के मारे जाने व कई लोगों के घायल होने की घटना घटित हुई है। मैं इस दुर्घटना में मारे गये सभी लोगों को मेरी तरफ से व प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक श्रद्धा-सुमन अर्पित करना चाहती हूं।

श्री विष्णु मोदी : आज एस.एम.एस. में बम की अफवाह से काफी दहशत फैली हुई है, उस मामले में गृह मंत्री जी कुछ बतायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : सारी जांच कर ली है, किसी भी प्रकार की चीज सामने नहीं आई है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : सदन की तरफ से भी प्रस्ताव द्वारा वाराणसी घटना पर शोक प्रस्ताव भेज दिया जाए तो क्या नुकसान है?

श्री अध्यक्ष : वह कर दिया न मुख्य मंत्री जी ने।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो आपने किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर शोक प्रस्ताव भी रखा जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है, शोक प्रस्ताव रखा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आय व्ययक का उपस्थापन करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का उपस्थापन करती हूं तथा सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्त विधेयक पुर:स्थापित करें।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2006

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुर:स्थापित करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 2006 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.39 बजे गुरुवार, 9 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)